अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती निधि कौशिक पत्नी श्री मनु कोशिक पुत्री स्व॰ श्री चन्द्रहास शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी प्लाट नम्बर 355, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व॰ श्री रविन्द्र नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 355, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.03.2018 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 09/2017 ब उनवानी अनिल कुमार शर्मा बनाम निधि शर्मा.

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 15.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 09/2017 ब उनवानी अनिल कुमार शर्मा बनाम निधि शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 160/23020 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलार्थिया द्वारा अपील माननीय उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 160/23020 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना अधीनस्थ अधिकरण के आदेश 28.03.2018 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमे अपीलार्थी को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया और बिना अपीलार्थी को सुने ही आदेश दिनांक 28.03.2018 पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण सरसरी तौर पर ही अपास्त किये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रकरण में दिनांक 28.02.2018 की पेशी वास्ते बहस व आदेश हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 14.03.2018 की दी गई। दिनांक 14.03.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी 26.04.2018 नियत की गई । इस प्रकार प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.04.2018 की पेशी नियत थी, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस दिये बिना ही अपीलार्थी का पक्ष सुने बिना ही नियत पेशी से पूर्व दिनांक 28.03.2018 को निर्णय कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। परिवादी प्रत्यर्थी द्वारा अपने पुत्र मनु कौशिक जो कि अपीलार्थी श्रीमती निधि कौशिक का पति है, से सांठ गांठ कर उसे व उसके बच्चो को सड़क पर लाने के उद्वेश्य से कानून का दुरूपयोग कर यह परिवाद अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना कर प्रस्तुत किया गया है। एफ़ आई आर संख्या 107/2014 दिनांक 28.11.2014 को पुलिस थाना महिला बुलन्दशहर में दर्ज कराई गई । जिसमें अपीलार्थिया अप्रार्थिया द्वारा अपने दोनों बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपस में हुए राजीनामा के अनुसार दिनांक 26.01.2015 को शान्तनु कौशिक जो कि अपीलार्थिया का देवर है अपीलार्थिया को लेने बुलन्दशहर आया तथा 27.01.2015 को मकान नम्बर 355 प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर में लेकर आया और तब से ही अपीलार्थिया उक्त प्लाट मे रिहायश कर रही है । प्रत्यर्थी ने इस दावे से पूर्व एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) पूर्व जयपुर महानगर जयपुर मे ब उनवानी अनिल शर्मा बनाम निधि कौशिक मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये, परन्तु प्रत्यर्थी परिवादी द्वारा उक्त तथ्यों को अपने परिवाद में अंकित नही किया और महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय से छुपाते हुये यह परिवाद प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी परिवादी एवं उसके पुत्र मनु कौशिक ने आपस में साज कर रखा है तथा ऐनकेन प्रकारेण प्रत्यर्थी एवं उसका पुत्र मनु कौशिक अपीलार्थिया को मकान नम्बर 355 प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर से निकालने के उद्वेश्य से मनु कौशिश द्वारा प्रस्तुत तलाक याचिका तथा अपीलार्थिया के दोनो बच्चों का हवाला भी जानबूझ कर परिवाद में नहीं दिया जबकि अपीलार्थिया के दो बच्चे है। बडा लडका पदमनाथ जिसका जन्म दिनांक 24.02.2012 तथा पुत्री आराध्या कौशिक का जन्म 14.10.2014 को हुआ जिनको उक्त मकान से निकाल कर लावारिश छोड़ना चाहते है और इसी कुत्सित उद्वेश्य से यह परिवाद अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत किया गया, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने बिना अपीलार्थिया को सुने बिना एवं नियत पेशी से पूर्व ही कानूनन विधि विरूद्व, स्वेच्छाचारी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों को अनदेखा कर बिना किसी सूचना के निर्णय पारित कर दिया जो कि प्रत्यर्थी की बदनियती को दर्शाता है। जो व्यक्ति अधिकरण के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये ऐसा व्यक्ति अधिकरण से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय से इस तथ्य को भी छुपाया गया है कि प्रत्यर्थी की पत्नी विभा कौशिक द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 12 The protection of Women Domestic Violence Act. 2005 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व दायर कर रखा है जिसमे भी उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायालय में दायर वाद एवं प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा दायर किये गये उक्त परिवाद के तथ्यों को छुपा कर यह परिवाद अधीनस्थ अधिकरण मे प्रस्तुत किया गया है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

स्पष्ट रूप से निष्पादित किया गया है कि जो व्यक्ति स्वच्छ हाथों से न्यायालय के सक्षम नहीं आये वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2022 (1) CCC 209 (S.C.) K. Jayaram & Ors V/s Bangalore Development Authority & Ors. में उक्त कानूनी तथ्यों का स्पष्ट रूप से विवेचन किया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 2 में पुत्रवधु, संतान एवं संबंधी की परिभाषा में नहीं आती है। मनु कोशिक जो कि अपीलार्थी का पति है एवं प्रत्यर्थी का पुत्र है, को पक्षकार नहीं बनाया गया । इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थी मनु कोशिक आपस में साज कर अपीलार्थिया एवं उसके बच्चों को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जबकि उक्त प्लाट संयुक्त हिन्दू परिवार की संम्पत्ति है और प्रत्यर्थीकर्ता खानदान है। प्रत्यर्थी का पुत्र मनु कौशिक जो कि अपीलार्थिया का पति है, संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया एवं उसके बच्चों को उक्त विवादित प्लाट से निष्कासित नहीं किया जा सकता । अपीलार्थिया के दोनो बच्चे जो कि प्रत्यर्थी के पोता पोती है, जयपुर में पढाई कर रहे है जिनकी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी प्रत्यर्थी एवं मनु कौशिक की बनती है। उक्त दोना बच्चों को भी जानबूझ कर प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसलिए इन दोनों बच्चों व अपीलार्थिया को बेदखल नहीं किया जा सकता । प्रत्यर्थी के पास प्लाट नम्बर 355 एवं प्लाट नम्बर 354 प्रेम नगर मालवीय नगर जयपुर मे स्थित है ओर उक्त दोनों प्लाटों के मालिक प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी की पत्नी है तथा प्लाट नम्बर 355 दो मंजिला निर्मित है जिसमें प्रथम मंजिल पर प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी की पत्नी रिहायश कर रही है तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित कमरो में अपीलार्थिया व अपीलार्थिया के दोनों बच्चे रिहायश कर रहे है। प्रत्यर्थी मात्र केनकेन प्रकारेण उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति से अपीलार्थिया एवं उसके बच्चो को अपने पुत्र मनु कोशिक के साथ मिल कर बेदखल कर तलाक के आधार को मजबूत करने की गरज से जिससे कि सेपरेशन बताया जा सके, के उद्देश्य से बेदखल करने के लिए यह परिवाद प्रस्तुत किया है जो सरसरी तोर पर खारिज किये जाने योग्य है। तर्को के समर्थन में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (1) 2016 (1) Civil Court Cases 842 (P&H), Balbir Kaur V/s Presiding Office cum S.D.M. of the Maintenance & Welfare of Senior Citizen Tribunal, Pehowa District Kurushetra & Ors. (2) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Smt. Pushpa Devi V/s Smt. Manju Vaishnav decided on 24-11-2015 Jodhpur (3) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2021(1) DNJ (SC) 168 S. Vanitha V/s Dy. Commissioner Bangalor Urban District. Or (4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2022 (3) WLC 299(Raj) Vinod Sharma V/s Smt. Shanti Devi & Ors में उक्त कानूनी तथ्यों का स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है जो अवलोनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में मैरिट्स पर अपीलार्थिया को सुन कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थी ने लिखित बहस पेश कर उक्त तर्को का खण्डन करते हुए दलील पेश की कि अपीलार्थिया ने उक्त अपील में यह तथ्य छुपाया है कि अपीलार्थिया का प्रत्यर्थी के पुत्र मनु कौशिक से वर्ष 2019 में तलाक निर्धारित हो गया। पारिवारिक न्यायालय गुरूग्राम द्वारा तलाक फरमाना (Divore Decree) दिनांक 02.08.2019 को पारित किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थिया द्वारा माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त डिक्री के सबंध में एक अपील दायर की गई है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त तलाक के सन्दर्भ में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किये है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतः यह कहना उचित होगा कि अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी के पुत्र का विवाह Divore Decree दिनांक 02.08.2019 के तहत अब अस्तित्व में नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया द्वारा यह तथ्य छुपाना यह प्रदर्शित करता है कि अपीलार्थिया खुद साफ नियत से अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त " One who claims equity must come with clean hand" के विरूद्व है। इसलिए इस सन्दर्भ में अपीलार्थिया को सुने जाने का अधिकार (Locus standi) निहित नहीं है। अपीलार्थिया द्वारा अपील में बार बार यह कहा है कि मकान नम्बर 355 प्रेमनगर संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, परन्तु अपीलार्थिया द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी तथ्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । यहां यह उल्लेखित करना अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 103 विशिष्ठ तथ्य के बारे में सबूत का भार–किसी विशिष्ठ तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे । जब तक किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, प्रत्यर्थी द्वारा एस डी एम सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत परिवाद प्रकरण संख्या 09/2017 एवं प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अपील के जबाब के अवलोकन से यह सिद्व होता है कि उक्त मकान प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं की अर्जित सम्पत्ति है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अगर यह मान भी लिया जावे कि उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, तब भी अपीलार्थिया का संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता है। उक्त अपील में प्रस्तुत भिन्न भिन्न तथ्यों के अवलोकन से यह सिद्व होता है कि अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई गुणवत्ता नहीं है, सभी तथ्य मनघढंत है। अपीलार्थिया बदनियती से उक्त मकान को हड़पना चाहती है। अधीनस्थ अधिकरण के रिकार्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है कि अपीलार्थिया आये दिन प्रत्यर्थी व प्रत्यर्थी की पत्नी से लड़ाई झगड़ा करती आ रही है एवं उक्त मकान में तोड़ फोड़ करती रहती है । यहां एक और तथ्य पर प्रकाश डालना अत्यन्त आवश्यक है कि उक्त अपील के लंम्बित रहने के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा मकान में लगाये ये सी सी टी वी कैमरा के साथ छेड़छाड की गई थी जिसकी शिकायत प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस में भी की गई थी । अधीनस्थ अधिकरण के रिकार्ड के अवलोकन से यह भी सिद्व होता है कि अपीलार्थिया आये दिन किसी न किसी अनजान व्यक्ति को घर पे बुलाती रहती है। उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये माननीय अपीलीय अधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्यर्थी जो कि वरिष्ठ नागरिक है, उसके अधिकारों की रक्षा करे एवं प्रत्यर्थी की सम्पत्ति की सुरक्षा करने का दायित्व एवं भार अधिकरण के अधीन है। अतः अपील खारिज कर अपीलार्थिया को उक्त मकान से बेदखल करने का आदेश प्रदान करें। उक्त अपील माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के अन्तर्गत पेश की गई है । अधिनियम का नाम ही कल्याण अधिनियम है जो कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु लागू किया है । उक्त अपील में अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी एवं अधीनस्थ अधिकरण के रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी को समय समय पर प्रताड़ित किया जाता रहा है एवं अधिनियम 2007 लागू होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी अनिल कुमार शर्मा जो कि समाज के एक सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें न्याय मिलने में विलम्ब पैदा किया जा रहा है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी ने वर्ष 2017 में अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने के लिए परिवाद पेश किया था । आज 6 वर्ष बाद भी कोर्ट कचेहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे है एवं न्याय की उम्मीद में दर

जिला कलक्टर (कलक्टर) जयपुर

जिला कलक्टर
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दर भटक रहे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं कई उच्च न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में यह ठहराया
है कि एक कल्याणकारी अधिनियम को सौहार्दपूर्वक ही व्याख्या (Harmoniously integrat) की जानी
चाहिये। K.H. Nazar V Mathew K. Jacob & Ors [reported in (2020) 15 SCC 126] में माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराया है कि कल्याणकारी अधिनियम की व्याख्या किस प्रकार की जानी
चाहिये । उक्त अधिनियम 2007 के सन्दर्भ में एक सिविल रेफरेन्स का गठन किया गया है " Civil
Refrence No 03/2020" उक्त से यह स्पष्ट होता है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने
सुस्थापित करती है कि अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पुत्रवधू को सम्पत्ति से बेदखल करने का
अधिकार है। अतः माननीय अधिकरण से निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे एवं
अपीलार्थिया को उक्त मकान से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावे। साथ ही पुलिस थाना को
यह आदेश दिया जावे की उक्त सम्पत्ति से अपीलार्थिया को बेदखल करवाया जावे। Shadab
Khairi & Anr V The State (Govt of NCT of Delhi) and Ors. [2017 SCC online Del 11324] में
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे ही मिलते जुलते तथ्यों के मामले में भी यही ठहराया है कि
वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा हेतु एवं सुख शान्ति हेतु अधीनस्थ अधिकरण को अधिकार है कि वे
बेदखली का आदेश पारित कर सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने Suresh Sharma
and Another v/s Dhanwanti Sharma [S.b. Civil Writ petition No. 6089 of 2019 reported in 2022
SCC online Raj 672, में बेदखली के आदेश को उचित ठहराया है । प्रत्यर्थी के कथनों के समर्थन
में अन्य न्यायिक दृष्टान्त एस विनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर [(2020) SCC online 1023], माननीय
उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा Virender Kaur V/s Jitender Kaur [repored in 2016 (4) RCR
(Criminal) 861] एवं माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली Ashish Randav and Aother V/s State (Govt
of NCT Delhi) and other [2023 SCC onlian 4347 W.P (C) 7554/2022 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
अपीलार्थिया का यह आधार की उक्त सम्पत्ति एक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, यह गलत
है। उक्त सम्पत्ति पर अपीलार्थिया का कोई अधिकार नहीं है। बल्कि उक्त सम्पत्ति प्रत्यर्थी द्वारा स्व
अर्जित सम्पत्ति है। इसी तथ्य पर अपीलार्थिया की अपील खारिज फरमावें। अधीनस्थ अधिकरण के
आदेश को बरकरार रखा जावे । अपीलार्थिया को उक्त सम्पत्ति से बेदखल करने का आदेश
फरमावें

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का
भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थिया का मुख्य कथन है कि उसे अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं
किया गया। अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.03.2018 अवलोकन करने
पर पाया गया कि अपीलार्थिया श्रीमती निधि कौशिक द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद का
जवाब, शपथ पत्र, साक्ष्य, सबूत दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त के अलावा लिखित बहस दिनांक
18.02.2023 को पेश की गई है। परिवादी श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा भी लिखित बहस पेश की
गई है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश किये जाने पश्चात आदेश के लिए लम्बी
तारीख दिये जाने पर वरिष्ठ नागरिक परिवादी की प्रार्थना पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा यह
अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 को पारित किया गया है। अतः अपीलार्थिया का यह कथन
सत्य नहीं है, कि उसे अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया
अपीलीय अधिकरण हाजा द्वारा भी उभय पक्ष को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया है।
अपीलार्थी श्रीमती निधि कौशिक व प्रत्यर्थी के पुत्र श्री मनु कौशिक के मध्य पारिवारिक न्यायालय

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गुरूग्राम द्वारा तलाक फरमाना (Divorce Decree) दिनाकं 02.08.2019 को चुकी है जिसके विरूद्व माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त डिकी के संबंध में एक अपील दायर है, किन्तु उसमें तलाक के सन्दर्भ में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। विवादित सम्पत्ति वरिष्ठ नागरिक प्रत्यर्थी अनिल कुमार शर्मा की स्व अर्जित सम्पत्ति है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का भार/दायित्व अधिकरण पर है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर बेदखली के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये जाकर माता पिता व वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षार्थ किये गये बेदखली के आदेश को सही ठहराया है। अधिनियम की मन्शा एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थिया की अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शामिल मिसल हो।

निर्णय आज दिनांक **15.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर